संख्या-98/2019/2355 ई-2/तेरह-2019-144/2017

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 दिसम्बर, 2019

विषयः श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, पुत्र स्व. परमेश्वर चन्द्र गुप्ता द्वारा संचालित रीगल रेस्टोरेन्ट, भवन संख्या-4/284, सराय गोवर्धन, चेतगंज, वाराणसी को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन को संबोधित एवं आबकारी आयुक्त को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-363/जि.आ.अ./बार अनु./एफ.एल.-7/18-19, दिनांक 16.04.2018 व तदविषयक आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-2270/जि.आ.अ./बार अनु./एफ.एल.-7/19-20, दिनांक 10.10.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 13.04.2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति एवं इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्रों संख्या-जी-104/दस-लाइसेंस-39/खण्ड-4/एफ.एल.-6,7/रीगल/बार अनु./वाराणसी, दिनांक 09.09.2019 व संख्या-जी-168/दस-लाइसेंस-39/खण्ड-4/एफ.एल.-6,7/रीगल/बार अनु./वाराणसी, दिनांक 28.11.2019 में की गयी संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, पुत्र स्व. परमेश्वर चन्द्र गुप्ता द्वारा संचालित रीगल रेस्टोरेन्ट, भवन संख्या-4/284, सराय गोवर्धन, चेतगंज, वाराणसी को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा, अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, का इकाई द्वारा पूर्णरूप से अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/ पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-98/2019/2355(1) ई-2/तेरह-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-168/दस-लाइसैंस-39/खण्ड-4/एफ.एल.-6,7/रीगल/बार अनु./वाराणसी, दिनांक 28.11.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।